

# प्रेस नोट थाना खजनी जनपद गोरखपुर दिनांक 15.12.2024

**कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जमीन बैनामा करा लेने के आरोप में 15,000 रु0 का  
इनामियां अभियुक्त गिरफ्तार**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी खजनी के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष खजनी के नेतृत्व में 30नि0 राजीव कुमार तिवारी मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 30/2021 धारा 419,420,467,468,471,120बी भादवि0 व मु0अ0सं0 31/2021 धारा 419,420,467,468, 471,120बी भादवि0 से संबंधित इनामियां/वांछित अभियुक्त राजेश सिंह को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

## घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्तगण द्वारा कूटरचित तरीके से दस्तावेज तैयार कर वादी मुकदमा की जमीन बैनामा करा लेने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

## गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राजेश सिंह पुत्र हरिद्वार सिंह निवासी पिड़िया बाजार थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर

## गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं030/2021 धारा 419,420,467,468,471,120बी भादवि0 थाना खजनी जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 31/2021 धारा 419,420,467,468,471,120बी भादवि0 थाना खजनी जनपद गोरखपुर

## गिरफ्तारी की टीम-

1. 30नि0 राजीव कुमार तिवारी चौकी प्रभारी उनवल थाना खजनी जनपद गोरखपुर
2. 30नि0 अभिषेक कुमार सिंह चौकी प्रभारी महुआडाबर थाना खजनी जनपद गोरखपुर
3. कां0 अतुल कुमार थाना खजनी जनपद गोरखपुर